

1 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 16/2017

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

समक्ष- वीरेन्द्र सिंह राजपूत
आप0 पुनरीक्षण याचिका क. 16/2017
संस्थापन दिनांक - 28.02.2017

1	जितेन्द्र उर्फ गोंदे पुत्र रूकमसिंह पवैया, उम्र 28 वर्ष।
2	राघवेन्द्रसिंह पुत्र रूकमसिंह पवैया, उम्र 30 वर्ष।
3	छोटे उर्फ बलवीर पुत्र रूकमसिंह पवैया, उम्र 38 वर्ष।
4	विनोद उर्फ लंगडा पुत्र रूकमसिंह पवैया, उम्र 40 वर्ष।
.....आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्ता	

// विरुद्ध //

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र एण्डोरी, जिला भिण्ड
म0प्र0
.....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अभियोजन

पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर
अपर लोक अभियोजक

आ-दे-श

(आज दिनांक 01/08/2017 को पारित किया गया)

01. पुनरीक्षणकर्तागण/आवेदकगण की ओर से यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री अमित कुमार गुप्ता के न्यायालय के प्र0क0 536/2016 ई.फौ. (शा0पु0 एण्डोरी वि0 जितेन्द्र आदि) में लिए गए संज्ञान आदेश दिनांक 22.11.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने

2 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 16/2017

पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध भा.द.वि की धारा 294, 323, 336 व 201 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है।

02. प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण/आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 01.06.16 को फरियादी कृष्णपालसिंह तोमर ने आरोपी जितेन्द्र को स्कूल में जाने से रोका तो आरोपी जितेन्द्र ने उसे गाली दी एवं थप्पड़ मारा तथा सहआरोपीगण राघवेन्द्र व बलवीर, विनोद के द्वारा हवाई फायर किये जिससे वह डर के मारे घर के अंदर घुस गया और उसका जीवन संकट में पड़ गया था। उक्त आशय की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना एण्डोरी में की गई जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध अप0क्र0 47/16 धारा 336, 294, 323, 34 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया है एवं विवेचना के दौरान धारा 201 भा.द.वि का इजाफा किया गया है। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र धारा 336, 294, 323, 201, 34 भा.द.वि में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.09.2016 को पेश किया गया है, जिसमें कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी जितेन्द्र के विरुद्ध धारा 294, 323 भा.द.वि. एवं शेष आरोपीगण के विरुद्ध धारा 336, 201 भा.द.वि में संज्ञान लिया गया है, जिससे व्यथित होकर आरोपीगण/पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

03. पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 22.11.2016 को विधि और तथ्यों के विपरीत होना व्यक्त करते हुए यह व्यक्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विधि विरुद्ध भा.द.वि की धारा 336, 201 के अंतर्गत संज्ञान लेने में कानूनी भूल की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है जिससे दर्शित होता हो कि निगरानीकर्तागण के विरुद्ध धारा 336, 201 भा.द.वि के तथ्य आकृष्ट होते हो। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र ईर्ष्यावश 336, 201 भा.द.वि के अंतर्गत संज्ञान लिया है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त कर पुनरीक्षणकर्तागण का आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

04. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह

3 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 16/2017

गुर्जर ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप दर्शाते हुए पुनरीक्षणकर्तागण की पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

05. पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से विजय श्रीवास्तव एवं राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर के तर्क श्रवण किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 536/2016 ई.फौ. (शा0पु0 एण्डोरी वि0 जितेन्द्र आदि) के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

06. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र0क0 536/2016 ई.फौ. (शा0पु0 एण्डोरी वि0 जितेन्द्र आदि) में पारित आदेश दिनांक 22.11.2016 विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है?
-----	---

॥ सकारण निष्कर्ष ॥

07. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण में भा.द.वि की धारा 336 व 201 का कोई आरोप नहीं बनता है, किन्तु उसके पश्चात् भी विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्तागण पर उक्त आरोप लगाकर स्पष्टतः त्रुटि की है।

08. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि फरियादी कृष्णपालसिंह ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई है कि उसने आरोपी को स्कूल के अंदर जाने से मना किया तो आरोपी गाली देने लगा और उसे थप्पड़ मारा और हवाई फायर किया जिससे वह डर के मारे घर में घुस गया।

09. भा.द.वि की धारा 336 वहाँ आकृष्ट होती है, जहाँ कि कोई व्यक्ति उतावलेपन या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे मानव जीवन या दूसरों को वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जावे। प्रश्नगत प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी पर हवाई फायर करने का आरोप है। आरोप में कितनी सत्यता है, मानव जीवन अथवा किसे वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हुआ यह गुणदोष का विषय है, जिसे गुण दोष पर ही निराकृत किया जा सकता है। फरियादी कृष्णपाल के अतिरिक्त प्रकरण में प्रीतमसिंह के कथन संलग्न है, जिसमें साक्षी प्रीतम ने फरियादी के द्वारा अभिकथित घटनाक्रम का समर्थन किया है।

10. जहाँ तक भा.द.वि की धारा 201 का प्रश्न है। यह उस दशा में आकृष्ट होती है, जबकि कोई व्यक्ति कोई यह जानते हुए कि कोई अपराध किया गया है, अपराध की साक्ष्य को इस आशय से विलोपित करता है कि वह अपराध के वैध्य दण्ड से प्रतिच्छादित करे।

11. प्रश्नगत प्रकरण में आरोपी पर हवाई फायर करने का आरोप है। प्रकरण में तलाशी पंचनामा संलग्न है, जिसमें आरोपी के पास से घटना के समय प्रयुक्त बंदूक बरामद नहीं की जा सकी है और आरोपी पर घटना में चलाई गई बंदूक को नष्ट करने का आरोप है, जो कि महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है।

12. आरोप के प्रक्रम पर प्रकरण में प्रस्तुत, उपलब्ध कथन, अन्य साक्ष्य को प्रारंभिक रूप से ही देखा जाना होता है, न कि साक्ष्य की प्रमाणिक जाँच की जाती है।

13. आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना होता है कि क्या अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने की उपधारणा करने का कोई आधार है या नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य विरुद्ध सोमनाथ थापा एवं अन्य 1996 (4) एस.सी.सी. 659 में यह अभिमत दिया है कि यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर आ सकता था कि अपराध का कारित होना उसका संभव परिणाम है, तो आरोप विरचित करने के लिये मामला विद्यमान होता है। यदि न्यायालय यह समझता है कि अभियुक्त अपराध कारित कर

सकता था, तो वह आरोप को विरचित कर सकता है, यद्यपि दोषसिद्धि के लिये यही निष्कर्ष होने की अपेक्षा की जाती है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है। यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रमाणिक मूल्य की जाँच नहीं की जा सकती। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लायी गई सामग्री से ही देखा जाना होता है कि न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार युक्तियुक्त रूप से यह अवधारित करने के लिये सामग्री है कि आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप विरचित करने के लिये मामला विद्यमान है।

14. आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर उपलब्ध सामग्री और दस्तावेजों का अधिमूल्यन करना अपेक्षित नहीं होता है और न ही उनके गहन जाँच की प्रत्याशा की जाती है। कसौटी यह होती है कि आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त और दृढ़ आधार उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्याय दृष्टांत ओमकारनाथ मिश्रा एवं 1 अन्य विरुद्ध एन.सी.टी. राज्य दिल्ली एवं एक अन्य 2008

(1) सी सी एस सी 544 एस.सी. में किया गया संप्रेक्षण अवलोकनीय है:-

"It is trite that at the stage of framing of charge the Court is required to evaluate the material and documents on record with a view to finding out if the facts emerging therefrom, taken at their face value, disclosed the existence of all the ingredients constituting the alleged offence. At that stage, the Court is not expected to go deep into the probative value of the material on record. What needs to be considered is whether there is a ground for presuming that the offence has been committed and not a ground for convicting the accused has been made out. At that stage, even strong suspicion founded on material which leads the Court to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offence alleged would justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence."

15. प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आरोपीगण पर जो आरोप विरचित किए हैं, इस संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रकरण में उक्त आरोप विरचित करने हेतु प्रथम दृष्टिया तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। आरोपीगण ने अपराध किया अथवा नहीं यह गुण दोष का विषय है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से लिया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि विचारण न्यायालय ने रिकार्ड पर बगैर तथ्य होते हुए आरोप विरचित किया है।

16. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि विचारण न्यायालय ने आरोपी/पुनरीक्षणकर्तागण पर भा.द.वि की धारा 294, 336, 201 का आरोप बगैर किसी पर्याप्त आधार के विरचित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश में इस प्रकार की कोई त्रुटि दर्शित नहीं होती है जिसमें कि पुनरीक्षणाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप किया जा सके।

17. परिणामतः पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश की पुष्टि की जाती है।

18. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख वापस किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)